

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. - 2024/464
मुकदमा नम्बर 165/2024

दर्ज दिनांक-15.10.2024

भगवाना पुत्र जोधा, जाति माली निवासी पहाडिला,पटवार हल्का चिराना, तहसील नवलगढ़ ,जिला झुझुनू
बनाम
भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुनू

वकील आवेदक : - श्री अमर सिंह शेखावत
अनावेदक :- पैरो. राज.

प्रार्थना-पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
:: आदेश ::


निर्णय दिनांक 16.05.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत किया कि, प्रार्थीगण का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम पहाडिला ,पटवार हल्का चिराना की सरहद में खाता सं. नया 97 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 164 रकबा 1.1025 है० भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 28.04.2016 के अनुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर/एतराज पेश नहीं किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक ने प्रा. पत्र के साथ दिनांक 23.06.2024 की फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की है। पत्रावली पर प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार की गई है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार को अपनी कृषि जोत पर सीमाज्ञान व स्थायी सीमा चिन्ह कायम किये जाने का पूर्ण अधिकारी है। यद्यपी दिनांक 13.11.2024 को किया गया सीमाज्ञान राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है जिस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है परन्तु यह भी स्पष्ट है कि उक्त सीमाज्ञान सीमावर्ती खातेदारों को बिना सुचित किये, बिना उनकी उपस्थिति के किया गया है। इसलिये तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व ग्राम पहाडिला ,पटवार हल्का चिराना की सरहद में खाता सं. नया 97 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 164 रकबा 1.1025 है० भूमि की सीमाओं पर सीमाज्ञान, सीमावर्ती काश्तकारों को नोटिस दिये जाकर, उनकी उपस्थिति में पुनः किया जाकर, सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कर, की जावे। तदनुसार पत्थरगढ़ी कायम करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कर उक्त सम्बन्ध में जो भी हितबद्ध आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी में सीमाज्ञान करते हुये ,पत्थरगढ़ी करे। यदि आदेश की पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/05/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुनू